जनपद बिजनौर

प्रेसनोट – वामा सारथी कार्यक्रम दिनांक 05.10.2025

वामा सारथी के तत्वावधान में रिजर्व पुलिस लाइन बिजनौर में "वामा वेलनेस कैंप" (स्वास्थ्य परीक्षण शिविर) का आयोजन किये जाने संबंधी।

श्रीमती रिया झा, *अध्यक्षा वामा सारथी बिजनौर के नेतृत्व में आज दिनांक* ***05 अक्टूबर, 2025*** *को उत्तर प्रदेश पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन (वामा सारथी) के तत्वावधान में* ***रिजर्व पुलिस लाइन्स, जनपद बिजनौर*** *में "****वामा वेलनेस कैंप****" (स्वास्थ्य परीक्षण शिविर) का सफल आयोजन किया गया।*

- इस कार्यक्रम का आयोजन *पुलिस महानिरीक्षक, कार्मिक/पुलिस महानिदेशक के जी0एस0ओ0, उत्तर प्रदेश* के पत्र संख्या **डीजी-12(वे0 वामा सारथी कल्याणकारी कार्य-05)/2025 दिनांक 26 सितम्बर, 2025** के अनुपालन में किया गया। स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का संचालन **डॉ0 लाल पैथ लैब** द्वारा किया गया, जिसमें प्रातः 06:30 बजे से 11:30 बजे तक पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उनके परिवारजनों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया।
- कार्यक्रम में **श्रीमती रिया झा**(अध्यक्षा *वामा सारथी*) पत्नी श्री अभिषेक पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर, **डॉ0 कृष्ण गोपाल सिंह** (अपर पुलिस अधीक्षक नगर), **श्री संग्राम सिंह** (क्षेत्राधिकारी रिजर्व पुलिस लाइन), **श्री देवेन्द्र सिंह सिकरवार** (प्रतिसार निरीक्षक रिजर्व पुलिस लाइन) सहित *वामा सारथी की सदस्याएं एवं स्वयंसेवक* उपस्थित रहे।
- शिविर में लगभग **250 पुलिस अधिकारी/कर्मचारी एवं उनके परिजनों** ने रक्त,शुगर,कोलेस्ट्रॉल, थायरॉयड आदि की जांच कराई। यह स्वास्थ्य परीक्षण शिविर पुलिस परिवारों के स्वास्थ्य संरक्षण एवं जागरूकता की दिशा में एक सराहनीय पहल सिद्ध हुआ।

उद्देश्य: *पुलिस परिवार का स्वास्थ्य — हमारी प्राथमिकता।*

वेलफेयर एसोसिएशन
वेलनेस कैम्प

उत्तर प्रदेश
Louis Vuitton

वामा सारथी
''वामा वेलनेस कैम्प''
का आयोजन
भारत का विश्वास

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना नगीना दिनांक 05.10.2025

थाना नगीना पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 195/2025 धारा 352/109(1) बी0एन0एस में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 04.10.2025 को वादी ने थाना नगीना पर तहरीर दी कि अभियुक्त उमेश द्वारा वादी के साथ गाली गलौच करते हुए धारदार आरी से वादी के चेहरे व गर्दन पर वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नगीना पर मु0अ0सं0 195/2025 धारा 352/109(1) BNS पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

थाना नगीना पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त उमेश पुत्र घनश्याम निवासी पिनाना थाना राणा साहेब जनपद चम्पावत उत्तराखण्ड को घटना मे प्रयुक्त एक आरी सहित गिरफ्तार किया गया। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

उमेश पुत्र घनश्याम निवासी पिनाना थाना राणा साहेब जनपद चम्पावत उत्तराखण्ड।

बरामदगी विववरण

घटना मे प्रयुक्त एक आरी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 श्री जोगेन्द्र बैंसला थाना नगीना जनपद बिजनौर।
2. का0 1933 शेर सिहं थाना नगीना जनपद बिजनौर।
3. का0 1571 सुरजीत थाना नगीना जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना नगीना **दिनांक 05.10.2025**

थाना नगीना पुलिस ने मु0अ0सं0- 187/2025 धारा 70(2)/351(3) बी0एन0एस व धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 26.09.25 को वादिया द्वारा थाना नगीना पर तहरीर दी गई की अभि0गण द्वारा वादिया की नाबालिग पुत्री को मौ0 आरिफ द्वारा वादिया की पुत्री के साथ गलत कार्य किया गया एवं वीडियो बनाकर उसे वायरल करने तथा जान से मारने की धमकी दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नगीना पर मु0अ0सं0 -187/2025 धारा 69/61(2)(क)/351(3) बी0एन0एस व 3/4 पोक्सो एक्ट बनाम 1.मौ० आरिफ पुत्र नादिर चौधरी निवासी अतरासी कलां थाना रजबपुर जनपद अमरोहा व 2.कादिर पुत्र नामालूम निवासी मौहल्ला नूर सराय निकट नहर पर स्थित मस्जिद कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग मे धारा 69/61(2)(क) बीएनएस का लोप कर धारा 70(2)/351(3) बी0एन0एस व धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गई।

कार्यवाही-

थाना नगीना पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 -187/2025 धारा 70(2)/351(3) बी0एन0एस व धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट मे वांछित आरिफ पुत्र नादिर निवासी अतरासी कलां थाना रजबपुर जनपद अमरोहा को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1.आरिफ पुत्र नादिर निवासी अतरासी कलां थाना रजबपुर जनपद अमरोहा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 श्री सोहन सिहं पुण्डीर थाना नगीना जनपद बिजनौर

2.कां0 2540 प्रेमचन्द थाना नगीना जनपद बिजनौर

3.का01934 ललित कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर